न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस **संख्या 2022/325**

1. किशन लाल
2. जगदीश प्रसाद
3. जयराम
4. मदनलाल पुत्रान बोदूराम, जातियान रैगर
5. नरेश
6. मालीराम पुत्रान सुरजाराम उर्फ सुरजभान रैगर
7. राजेन्द्र पुत्र जयराम, जाति रैगर, समस्त जातियान – रैगर, निवासीयान– भैसलाना, पावटा, जयपुर

–अपीलान्ट

बनाम

1. गुलाब कंवर पत्नी दुलसिंह, जाति राजपूत, निवासी– भैसलाना, पावटा, जयपुर ।
2. तहसीलदारजी, तहसील पावटा, जयपुर
3. पटवारी भैसलाना, पावटा, जिला जयपुर

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर दिनांक 17.05.2022 जिसकी पालना में पत्थरगढी की जानी है के विरूद्ध

उपस्थित–

1. श्री दिनेश पारीक, वकील अपीलान्ट
2. श्री नितिन भारद्वाज, वकी रेस्पो.नं. 1 की ओर से ।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो.नं. 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 30.01.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 17.05.2022 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.05.2022 द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पावटा को आदेशित किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 445/0.13 है0 वाके मोजा भैंसलाना तहसील पावटा का दिनांक 0.107.2021 को हुये सीमाज्ञान के मुताबिक यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो नियमानुसार फीस जमा कराकर पत्थरगढी करवाने के आदेश पारित किये गये।
3. उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 17.05.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट किशन लाल पुत्र बोदराम वगै0 द्वारा यह अपील स्वीकार

संभागीय आयुक्त
जयपुर

करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर दिनांक 17.05.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने खसरा नम्बर 445 रकबा 0.13 हैक्टेयर वाके मौजा भैसलाना पावटा में उपखण्ड अधिकारी पावटा के समक्ष पत्थरगढी हेतु प्रार्थना पत्र लगाया था । यह कि उक्त प्रार्थना पत्र में अपीलार्थी संख्या 1 लगायत 7 पर रेस्पोडेन्ट ने डोल तोडने व फसल नष्ट करने का आरोप लगाते हुये खसरा नम्बर 445 रकबा 0.13 हैक्टेयर पर पत्थरगढी करवाने की आज्ञा चाही। जिस पर मिन अपीलान्ट को नोटिस दिया गया । यह कि जिस पर अपीलान्ट द्वारा जवाब दिया कि अपीलान्ट का .उक्त खसरा नम्बरान से कोई संबंध व सरोकार नहीं है, न ही अपीलान्ट ने कभी प्रार्थीया की डोल तोडी न ही कोई फसल नष्ट की, ना ही प्रार्थीया की भूमि में कोई भूमि मिलाई, प्रार्थीया ने सबकुछ मनगढन्त अंकित किया है। यह कि प्रार्थीया की भूमि खसरा नम्बर 445 रकबा 0.13 हैक्टेयर वाके मौजा भैसलाना तहसील पावटा, जिला जयपुर जो कि साबिक खसरा नम्बर 390 से बना है जिसको सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क के निर्माण हेतु अवाप्त कर ली गई है शेष बची भूमि को एम. डी. आर रोड में अवाप्त कर लिया गया हैं। अब प्रार्थीया की भूमि पर कोई भूमि शेष ही नहीं रही तो अपीलान्ट का किसी प्रकार का कोई कब्जा करने का या डोल तोडने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। यह कि उक्त जवाब व दस्तावेज रिकॉर्ड पर होते हुये योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17.05.2022 में विधि विधान व तथ्यो के प्रतिकूल होते हुये जो निर्णय पारित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है । यह कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रजममन व कन्जेक्चरस पर आधारित हाने से भी निरस्तनीय हैं। यह कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय पर वर्स, आरबिट्रेरी एण्ड कॉन्ट्रेरी टू लॉ होने से भी निरस्तनीय है। यह कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्थरगढी के संबंध में बने प्रावधानो व उन पर प्रतिपादित सिद्धांतो के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। यह कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय के सहज एवं प्राकृतिक सिद्वांतो के विपरीत है। यह कि अपीलान्ट के जनजाति के गरीब व्यक्ति है जिन्हें हैरान व परेशान करने हेतु उक्त वाद दायर किया है एवं रेस्पोडेन्ट की कोई भी भूमि शेष नहीं रहने पर भी, अवार्ड का मुआवजा ले लेने के पश्चात भी, अपनी भूमि बताते हुये जो प्रार्थना पत्र लगाया था जो निरस्त किये जाने योग्य था। फिर भी अधिवस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर भारी भयंकर भूल कारित की है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि अपीलाधीन आदेश के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाहा न्याय के सहज एवं प्राकृतिक सिद्धांतो के प्रतिकूल होने से भी निरस्तनीय है। अतः अपील प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि उपखण्ड अधिकारी पावटा के निर्णय दिनांक 17.05.2022 की क्रियान्वती अपील के निर्णय तक स्थगित रखते हुये बाद सुनवाई अपील स्वीकार फरमाई जावे एवं उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 17.05. 2022 को खारिज

संभागीय आयुक्त
जयपुर

फरमाये जाने की आज्ञा प्रदान करे। अतः अपील अपीलार्थी प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.05.2022 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

6. रेस्पोडेन्ट नं. 1 के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपर में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 445/0.13 वाके मौजा भैंसलाना, तहसील पावटा, जिला–जयपुर, राजस्थान में स्थित है। यह कि प्रार्थीया आराजी खसरा नम्बर 445/0.13 वाके मौजा भैंसलाना, तहसील पावटा, जिला–जयपुर, राजस्थान सम्पूर्ण की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज है । जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना–पत्र है। यह कि प्रार्थीया की उक्त आराजी खसरा नम्बर 445/0.13 वाके मौजा भैंसलाना, तहसील पावटा, जिला– जयपुर, राजस्थान से लगती अन्य भूमि खसरा नम्बर 450 वाके मौजा भैंसलाना, तहसील पावटा, जिला जयपुर, राजस्थान के खातेदार काश्तकार अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 9 आये दिन ताकत के बल पर प्रार्थीया की उक्त आराजी की डोल वगैरह तोड़ देते है, फसल नष्ट कर देते है तथा प्रार्थीया की आराजी को अपनी आराजी में मिलाने पर उतारू है। प्रार्थीया द्वारा समझाने पर नही मान रहे है, मर–मार पर आमादा है। इसलिये प्रार्थीया की उक्त आराजी खसरा नम्बर 445/0.13 वाके मौजा भैंसलाना, तहसील पावटा,जिला–जयपुर, राजस्थान की पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायसंगत है। प्रार्थीया की भूमि आराजी खसरा नम्बर 445/0.13 वाके मौजा भैंसलाना, तहसील पावटा, जिला– जयपुर, राजस्थान का सीमाज्ञान पूर्व में दिनांक 11–7–2021 को किया जा चुका है । यह कि प्रार्थीया ने अपनी उक्त आराजी भूमि की पत्थरगढी करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार पावटा को कहा तो तहसीलदार पावटा ने सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु कहा । इसलिए प्रार्थना–पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। यह कि प्रार्थना–पत्र अन्दर मियाद पेश है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची के तहत नियत न्यायशुल्क पर प्रार्थना–पत्र पेश है। यह कि रिहायश फरीकेन एंव आराजी विवादास्पद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से माननीय न्यायालय को प्रार्थना–पत्र सुनने व तैय करने का अधिकार है । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.05.2022 द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पावटा को आदेशित किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 445/0.13 है0 वाके मोजा भैंसलाना तहसील पावटा का दिनांक 01.07.2021 को हुये सीमाज्ञान के मुताबिक यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो नियमानुसार फीस जमा कराकर पत्थरगढी करवाने के आदेश पारित किये गये। अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला अलवर उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.05.2022 द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पावटा को आदेशित किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 445/0.13 है0 वाके मोजा भैंसलाना तहसील पावटा का दिनांक 0.107.2021 को हुये सीमाज्ञान के मुताबिक यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो नियमानुसार फीस जमा कराकर पत्थरगढी करवाने के आदेश पारित किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 ने जवाब दिया था कि अपीलान्ट का उक्त उक्त खसरा नम्बरान से कोई संबंध व सरोकार नहीं है, न ही अपीलान्ट ने कभी प्रार्थीया की डोल तोडी नही कोई फसल नष्ट की, ना ही प्रार्थीया की भूमि में कोई भूमि मिलाई, प्रार्थीया ने सबकुछ मनगढत अंकित किया है। प्रार्थीया की भूमि खसरा नम्बर 445 रकबा 0.13 हैक्टेयर वाके मौजा भैसलाना तहसील पावटा, जिला जयपुर जो कि साबिक खसरा नम्बर 390 से बना है जिसको सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सडक के निर्माण हेतु अवाप्त कर ली गई है शेष बची भूमि को एम.डी.आर. रोड में अवाप्त कर लिया गया है। अब प्रार्थीया की भूमि पर कोई भूमि शेष ही नही रही तो अपीलान्ट का किसी प्रकार का कोई कब्जा करने का या डोल तोडने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 के जवाब के संलग्न सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड कोटपूतली के पत्र दिनांक 15.02.22 का अवलोकन किया गया कि जिसमें ग्राम आसपुरा से भैंसलाना एमडीआर 228 रोड को राजस्व रिकॉर्ड में अंकन बाबत भिजवाया गया था। उक्त जवाब व दस्तावेज रिकॉर्ड पर होते हुये भी योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17.05.2022 में विधि विधान व तथ्यों के प्रतिकूल होते हुये जो निर्णय पारित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर पारित अपीलाधीन दिनांक 17.05.2022 उचित एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश हैं कि:—अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर दिनांक 17.05.2021 निरस्त किया जाता है।

(डॉ0 आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।